न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 19/2020 (2020/00052)

तारीख दायरा–04.03.2020

तारीख निर्णय–14.01.2021

1. श्री उम्मेदसिंह पिता चतरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमती महेश कुंवर पत्नी चतरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रमोदसिंह पिता रामसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
2. श्री हरदयालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
3. श्री ललितसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
4. श्री भंवरलाल पिता धुला सुथार उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
5. श्री शिवलाल पिता धुला सुथार उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
6. श्री गणेशलाल पिता धुला सुथार उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
7. सुश्री पुष्पा पुत्री धुला सुथार उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
8. सुश्री कमला पुत्री धुला सुथार उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
9. श्री अम्बावा पिता उदा सुथार उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
10. श्री पन्ना पिता उदा सुथार उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
11. श्री महेन्द्रसिंह पिता रोडा राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
12. सुश्री मोहन कुवंर पुत्री रोडा राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
13. सुश्री पुष्पा पुत्री रोडा राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
14. श्री नवला पिता लाला राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
15. श्री रामसिंह पिता भीमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
16. श्री हरिसिंह पिता भीमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
17. श्रीमती गुलावकुवंर पत्नी प्रभुसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
18. श्री मानसिंह पिता वजेसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री कुशालसिंह राणावत

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:52 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा सामल पटवार सर्किल पदराडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 20 में आराजी संख्या 1776 रकबा [illegible] है0 भुमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के पास में विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 1778, 1775, 1777 स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि पास–पास होने से सीमा बंदी के बारे में आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी

Neelam

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

के खातेदारी में अतिक्रमण कर नुकसान पहुंचाते है, जिस बाबत् प्रार्थी ने कई बार सीमा जानकारी कराई गई लेकिन विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी को नहीं मानकर आये दिन सीमा क्षेत्र के पत्थरों को फेंक देते है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य सीमाओं पर पूर्ण नपती के पश्चात पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब गोगुन्दा के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण बावजुद सुचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजियात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी नही किये जाने बाबत् तथ्य प्रस्तुत नही किया है, जबकि बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा सामल पटवार सर्कल पदराडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 20 में आराजी संख्या 1776 रकबा 1.0200 है0 भूमि का दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ~~16-12-2013~~ 14.1.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam
(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा-उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:52 IST
Reason: SelfAttested